राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/जोधपुर/10 जयपुर, दिनांक : 19/4/2011.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
जोधपुर।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अलग जॉब कार्ड के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।**

संदर्भः–**आपका कार्यालय पत्रांक महात्मा गांधी नरेगा/10–11/17371 दिनांक 01.03.11**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि संयुक्त परिवार के विभाजन के आधार पर नया जॉब कार्ड जारी किया जा सकता है। इसके लिए पूर्व में जारी जॉब कार्ड में से विभाजित होने वाले सदस्यों के नाम डिलिट कर नया जॉब कार्ड जारी किया जायेगा। पूर्व में जारी जॉब कार्ड में मुखिया का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार नये जारी होने वाले जॉब कार्ड की एन्ट्री नरेगा सॉफ्ट पर की जा सकती है। नरेगा सॉफ्ट में जॉब कार्ड में से नाम हटाने का ऑप्शन उपलब्ध है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

भवदीय

(रामनिवास मेहता)
परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– समस्त

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस